

पत्रांक 1987/वन श्रमि

दिनांक 19/09/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कोट बंगला, वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा - धनारी - सेम - मुखेम मोटर मार्ग का पटुड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण। (लम्बाई 10.00 किमी०)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1274/12-1 कोट बंगला दिनांक 09/11/2022
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक इस मोटर मार्ग की स्वीकृति 2488/111(2)/06-3 मा०मु०घो०/2008 दिनांक 25/07/2008 के द्वारा 10 किमी० लम्बाई में रू० 367.50 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त है।

यह मोटर मार्ग पटुड़ी से आगे 3 किमी० कच्चा निर्मित है। इसके अन्तिम छोर से उपरोक्त मोटर मार्ग प्रारम्भ होता है। प्रथम 2.50 किमी० भाग में फलदार वृक्षों के बगीचे व नकदी फसल की खेती की जाती है। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण होने से ग्रामीणों को अपनी उपज को मण्डी में पहुँचाने के लिये जो उपाय किये जाते हैं उससे दुलान आदि का भाड़ा अधिक होने के कारण बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। प्लायन रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्गों को सुविधा देना प्राथमिकता में शामिल है। जिस हेतु धनारी क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं जनता द्वारा "जनपद स्तरीय शिकायत निवारण शिविर" में अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस मार्ग के निर्माण से उपली रमोली व जोगथ पट्टी के अधिकांश गांवों का सम्पर्क धनारी क्षेत्र से हो जायेगा। सेम-मुखेम नागराजा मन्दिर का धार्मिक महत्व वाले पांचवे धाम के तौर पर ख्याति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति स्थानीय निवासी/ग्रामीणों की आस्था को देखते हुए सेम नागराजा मन्दिर से 2.00 किमी० पूर्व तक ही दी गई थी। क्योंकि मान्यता के अनुसार पैदल यात्रा आस्था का प्रतीक है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही यमुना घाटी व इसके आसपास के श्रद्धालुओं को कम दूरी वाले आसान मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। मार्ग की स्वीकृति 2008 में प्राप्त है व इसी धनराशि में पूर्ण योजना को सम्पादित किये जाने हेतु वन भूमि स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत धनराशि से पूर्ण किया जा सकेगा।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपरोक्त के अनुसार महत्ता को देखते हुए औचित्य पूर्ण आख्या उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,



अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

दिनांक / /2023

पत्रांक /

प्रतिलिपि:- 1- जिलाधिकारी महोदय, (उत्तरकाशी) को दिनांक 12/09/23 को जनपद स्तरीय शिकायत निवारण शिविर में प्राप्त शिकायत के क्रमानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2- सहायक अभियन्ता -III को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


19/09/23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।